16/5/2019 वकील प्रार्थीया उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

वादमें अप्रार्थी संख्या 2 से 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वकील प्रार्थीया की बहस प्रार्थना पत्र O-9 R-7 CPC सपठित धारा 151 सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस मे कथन किया की उक्त वाद पेशी 30/5/2016 को नियत थी। लेकिन राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान 9/5/2016 को प्रार्थीया की अनुपस्थिति मे अदम हाजरी मे खारिज करने के आदेश दिये गये है जो गलत है। प्रार्थीया वृद्ध एव बीमार होने के कारण 9/5/2016 को अटल सेवा भाण्डीगढ़ मे उपस्थित नही हो सकी। उपस्थिति की सूचना भी प्रार्थीया को नही दी गई। वाद गलत तौर पर अदम हाजरी मे खारिज कर दिया गया है। उक्त आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है। तथा वाद को पुन नम्बर पर लिया जाकर वाद को प्रार्थीया की सुनवाई का अवसर प्रदम प्रदान करवाया जावे।

वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीया को जारी नोटिस पर सवार

P.T.O

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

की गलत Report दर्ज होना जाहिर है। मौतबिरान के नाम- पते सही नही है। न ही लोक अदालत की नोटिस की प्रभावी तामिल प्रार्थीया पर नही की गई है। प्रार्थीया को माण्डीगढ़ मे सुनवाई हेतु उपस्थित रहने के संबंध मे कोई सूचना लिखित या मौखिक नही होने से एव वृद्ध एवं बीमार होने से कैम्प माण्डीगढ़ मे उपस्थित नही होना जाहिर होता है। अत: प्राकृतिक एव नैसर्गिक सिद्धान्त के मध्य नजर प्रार्थीया उपस्थिति की सूचना नही मिलने से प्रार्थीया के कैम्प मे उपस्थित नही होने से वाद इसके अनुपस्थिति मे खारिज किया जाना जाहिर होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया आदेश-9 नियम-7 CPC सपठित धारा 151 स्वीकार किया जाता है। न्यायालय द्वारा कैम्प मे किया गया पारित आदेश दिनांक 9/5/2016 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वाद संख्या 9/2014 को पुन: नम्बर पर लेने का आदेश दिया जाता है। वाद को पुन दर्ज Register किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर आदेश आज दिनांक 16/5/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास ~~मेरे द्वारा~~ सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी